

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत ^महस्ताक्षर शिविर प्रभारी

महोदय .

निवेदन है कि ग्राम ठांसखेडी जमाबंदी सं. 2073-76 के खाता सं. 334 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		334	बाने सिंह पुत्र नगजी जाति राजपूत हि. 1/5 का. देह खातेदार	बाने सिंह पुत्र नगजी जाति राजपूत हि. 1/5 का. देह खातेदार

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

हस्ताक्षर

1. कागदुलाल पि. बानजी जाति मेर सा. देह
2.
3. गोरधनासिंह पि. बालुसिंह जाति लोकिम नि. ठांसखेडी
4.

कागदुलाल
गोरधनासिंह

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम ठांसखेडी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

गोरधनासिंह

हस्ताक्षर पटवारी
प०म० गोरधनासिंह

रिपोर्ट भू०अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

गोरधनासिंह

भू०अभिलेख निरीक्षक
भू०अ०नि०वृ०.....

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम **कंसरोडी** के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्दाज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत।

ग्राम का नाम :- वासं
पटवार हल्का :-
भू. अभि. नि.
तहसील
जि.



तहसीलदार / नायब तहसीलदार
तहसीलदार (भू.अ.)
पिडवावा जि. झालावाड

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडवावा जिला झालावाड राज0

कमांक: राजस्व न्यायालय /2025 / ११८८

दिनांक : २६/१/२८

वादी/प्रार्थी के ग्राम **कंसरोडी** के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्दाज को त्रुटीपूर्ण इन्दाज की उक्त जांच रिपोर्ट /प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्दाज दुरुस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

[Handwritten Signature]

उपखण्ड अधिकारी
पिडवावा जि. झालावाड राज0

